1-7-20 पत्रावली आज पेश हुई।

प्रभारी अधिकारी से सूचना प्राप्त कर प्रेषित करने बाबत सख्त हिदायत R.T.I. से सम्बन्धित शाखा इन्चार्ज को हिदायत की गई। पत्रावली पालना प्रस्तुत के इन्तजार में दिनांक 17-7-20 को पेश हो।

707
13/07/2020

जिला कलेक्टर, पाली

17/7/20 पत्रावली आज पेश हुई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी ADM पाली ने जरिए पत्रांक रा.लो. सू. अ./63/2020 / 1040 दि० 16-7-20 के मवगत कराया है कि अपीलार्थी को सूचना दी जा चुकी है। इसके लिए अपीलांट को आगामी ता० पेशी दि० 7-8-20 को उप० रहने हेतु नोटिस जारी हो। इसके लिए अपीलार्थी को कोई प्रकार का मार्गव्यय/भत्ता देय नहीं होगा इसका कथन नोटिस में किया जावे पत्रावली दिनांक 7/8/20 को पेश हो।

766
22/7/20

जिला कलेक्टर, पाली

7/8/20 पत्रावली आज पेश हुई।

अपीलांट बावजूद बाद तामिल अनुपस्थित।

अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन पेश कर लो. सू. अ. (ADM) पाली से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया। इस न्यायालय द्वारा पत्रांक 377 दिनांक 11/3/20 से लो. सू. अ. (ADM) पाली को अपीलांट को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया जिसके प्रत्युत्तर में लो. सू. अ. द्वारा पत्रांक 1040 दिनांक 16/7/20 के जरिये अपीलांट को सूचना उपलब्ध करवाकर अपील को निरस्त करने हेतु निवेदन किया। इस सम्बन्ध में अपीलांट को व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु तलब कीया गया जो आज अनुपस्थित है। ऐसी स्थिति में लो. सू. प्र. द्वारा दी गई सूचना दिये जाने के लिखित कथन को सही मानते हुए इस अपील के सन्दर्भ में अब किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह अपील निरस्त की जाती है।

पत्रावली इस न्यायालय से [illegible] फैसल होकर नम्बर से कम हो।

जिला कलेक्टर, पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:31:19 IST
Reason: SelfAttested